अध्याय-14

# अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन

Chapter-XIV

# Appeals, Revision and Review

**104. रजिस्ट्रार और राज्य सरकार को अपील किया जाना—** (1) इस धारा के अधीन कोई अपील रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध राज्य सरकार को और रजिस्ट्रार के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त या प्रत्यायोजित की गयी हैं, पारित किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध रजिस्ट्रार को हो सकेगी।

**स्पष्टीकरण :—** इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार के अन्तर्गत धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार और इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार की अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले अपर रजिस्ट्रार से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो—

(क) रजिस्ट्रार के धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने वाले किसी आदेश से,

(ख) रजिस्ट्रार के धारा 10 की उप-धारा (3) के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के किसी संशोधन के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने वाले आदेश से,

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन पारित इंकार के किसी आदेश से,

(घ) धारा 28 की उप-धारा (4) के अधीन किसी विनिश्चय से,

(ङ) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 57 के अधीन किये गये अधिभार के किसी आदेश से,

(च) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 61 के अधीन किये गये किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देने वाले आदेश से,

(छ) किसी सोसाइटी के समापक द्वारा, नियमों में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में धारा 64 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किये गये किसी आदेश से,

(ज) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 100 के अधीन किये गये किसी आदेश से,

व्यथित हो, आदेश या विनिश्चय की तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार अभिलेख की अपेक्षा करने और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, को पुष्ट, परिवर्तित या उलट सकेगा, या मामले को निपटारे के लिए ऐसे निदेशों के साथ प्रतिप्रेषित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(4) इस धारा के अधीन प्रस्तुत अपील की सुनवाई लम्बित रहने के दौरान राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, यथास्थिति, न्याय के उद्देश्य की विफलता को रोकने के लिये ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

**104. Appeal to the Registrar and the State Government.—** (1) An appeal may lie, under this section, to the State Government against an order or decision passed by the Registrar and to the Registrar against an order or decision passed by an officer subordinate to the Registrar or by any other person, to whom powers of the Registrar have been conferred or delegated under sub-section (2) of section 4.

**Explanation :—** For the purpose of this sub-section, Registrar shall not include any other person except the Registrar appointed by the State Government under sub-section (1) of section 4 and an Additional Registrar exercising the appellate powers of the Registrar under this section.

(2) Any person aggrieved by-

(a) an order of the Registrar made under sub-section (2) of section 6 refusing registration of a co-operative society,

(b) an order of the Registrar made under sub-section (3) of section 10 refusing registration of an amendment of the bye-laws of a co-operative society,

(c) an order of refusal passed by the Registrar under sub-section (2) of section 12,

(d) a decision under sub-section (4) of section 28,

(e) an order of surcharge made by the Registrar under section 57,

(f) an order made by the Registrar under section 61, directing the winding up of a co-operative society,

(g) an order made by the Liquidator of a society, in exercise of the powers conferred on him by section 64 with respect to matters specified in the rules,

(h) an order made by the Registrar under section 100,

may, within ninety days from the date of order or decision, appeal to the authority specified under sub-section (1).

(3) The State Government or the Registrar, as the case may be, may, after calling for the record and giving the appellant an opportunity of being heard, confirm, vary or reverse the order appealed against, or remand the case for disposal with such directions as it thinks fit.

(4) pending an appeal under this section, the State Government or the Registrar, as the case may be, may make such interlocutory orders as he may think fit in the interest of justice.

**105. अधिकरण का गठन और उसको अपीलें—** (1) सरकार इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए 'राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण' के नाम से अधिकरण गठित करेगी।

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(3) अधिकरण का अध्यक्ष चयन ग्रेड के जिला और सत्र न्यायाधीश की रैंक का राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का कोई अधिकारी होगा।

(4) अधिकरण का एक सदस्य राजस्थान राज्य सहकारी सेवा का कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रार होगा।

(5) अधिकरण का दूसरा सदस्य कोई पारंगत अधिवक्ता होगा, जिसे सहकारी विधि में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो अथवा सहकारी क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई ऐसा सहकारसेवी होगा, जो विधि स्नातक हो एवं जो राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी सोसाइटियों में कम से कम दो बार पदाधिकारी रहा हो।

(6) अधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, अधिवार्षिकी की आयु के अध्यधीन रहते हुए, साधारणतया पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किये जायेंगे। अधिवक्ता सदस्य, साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्, अधिकरण का सदस्य नहीं बना रहेगा।

(7) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें और चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये।

(8) अधिकरण की सदस्यता में की आकस्मिक रिक्ति से भिन्न कोई रिक्ति सरकार द्वारा भरी जायेगी।

(9) अधिकरण, सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, अपनी प्रक्रिया विनियमित करने और अपने कारबार का निपटारा करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से संगत विनियम बनायेगा। विनियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(10) कोई व्यक्ति जो—

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के किसी सदस्य को धारा 30 के अधीन हटाने वाले किसी आदेश या समिति के निर्वाचन या नियुक्ति से किसी सदस्य को धारा 28 की उप-धारा (5) के अधीन विवर्जित करने वाले किसी आदेश से; या

(ख) रजिस्ट्रार के धारा 60 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किये गये किसी विनिश्चय से; या

(ग) सरकार द्वारा धारा 60 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उस निमित्त शक्तियों से विनिहित व्यक्ति के किसी विनिश्चय से; या

(घ) किसी मध्यस्थ के धारा 60 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन के किसी अधिनिर्णय से; या

(ङ) ऐसे किसी भी विनिश्चय या अधिनिर्णय के, जो धारा 60 के अधीन किया जाये, निष्पादन में किसी विलम्ब या बाधा का निवारण करने की दृष्टि से धारा 102 के अधीन किये गये किसी आदेश से; या

(च) राज्य सरकार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा धारा 104 के अधीन की गयी किसी अपील में पारित किसी विनिश्चय से,

व्यथित है, ऐसे विनिश्चय, अधिनिर्णय या, यथास्थिति, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण:—** इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाले अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 97 और प्रथम अनुसूची के आदेश 41 द्वारा किसी अपील न्यायालय को प्रदत्त समस्त शक्तियां होंगी।

(11) उप-धारा (10) के अधीन सुनवाई के लम्बित रहने के दौरान अधिकरण न्याय के उद्देश्य की विफलता को रोकने के लिये ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

**105. Constitution of and appeals to the Tribunal.—** (1) The Government shall constitute a Tribunal, called "Rajasthan State Co-operative Tribunal", to exercise the powers and to carry out the functions conferred on the Tribunal by or under this Act.

(2) The Tribunal shall consist of a Chairman and two other members to be appointed by the State government.

(3) The Chairman of the Tribunal shall be an officer of the Rajasthan Higher Judicial Service of the rank of District and Sessions Judge of selection grade.

(4) One member of the Tribunal shall be an Additional Registrar of the Rajasthan State Co-operative Service.

(5) Another member of the Tribunal shall be either a distinguished advocate who has atleast 15 years experience in the Co-operative Law, or a co-operator, who has atleast 20 years experience in the field of co-operation and is a law graduate and has hold an office in any of the State or National Level Co-operative Societies for not less than two times.

(6) The Chairman and members of the Tribunal shall ordinarily, subject to the attainment of the age of superannuation, be appointed for a period of five years. The advocate member shall not continue to be the member of the Tribunal after attaining the age of sixty years.

(7) The other conditions of service and procedure for selection of the Chairman and Members of the Tribunal shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time.

(8) Any vacancy other than a casual vacancy in the membership of the Tribunal shall be filled by the Government.

(9) Subject to the previous sanction of the Government, the Tribunal shall frame regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, for regulating its procedure and the disposal of its business. The regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(10) Any person aggrieved by-

(a) an order removing a member of the committee of a co-operative society under section 30 or an order debarring a member from election or appointment to a Committee under sub-section (5) of section 28, or

(b) any decision of the Registrar made under clause (a) of sub-section (1) of section 60, or

(c) any decision of the person invested by the Government with powers in that behalf under clause (b) of sub-section (1) of section 60, or

(d) any award of an Arbitrator under clause (c) of sub-section (1) of section 60, or

(e) any order made under section 102 with a view to prevent any delay or obstruction in the execution of any decision or award that may be made under section 60.

(f) any decision passed by the State Government or the Registrar, as the case may be, in an appeal made under section 104,

may within ninety days from the date of the decision, award or order, as the case may be, appeal to the Tribunal.

**Explanation :—** The Tribunal hearing an appeal under this Act shall exercise

all the powers conferred upon an appellate court by section 97 and order XLI in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908).

(11) pending an appeal under sub-section (10), the Tribunel may make such interlocutory orders, as it may think fit in the interest of justice.

**106. अधिकरण द्वारा आदेशों का पुनर्विलोकन**— (1) अधिकरण, या तो रजिस्ट्रार के आवेदन पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे:-

परन्तु ऐसा कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि अधिकरण का इस बात से कि ऐसी किसी नयी और महत्त्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चला है जो सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् उस समय जब आदेश किया गया था, आवेदक की जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या कि अभिलेख से प्रकट कोई भूल या गलती है या किसी भी अन्य पर्याप्त कारण से समाधान नहीं हो जाये:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस नहीं दे दिया गया हो और उनको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(2) किसी पक्षकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन अधिकरण के आदेश से संसूचित होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर किया जायेगा।

**106. Review of orders by Tribunal.**— (1) The Tribunal may either on the application of the Registrar or on the application of any party interested, review its own order in any case and pass in reference thereto such order as it thinks fit :

Provided that no such application shall be entertained unless the Tribunal is satisfied that there has been a discovery of new and important matter or evidence which after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when its order was made or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason :

Provided further that no such order shall be made under this sub-section unless notice has been given to all interested parties and they have been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) An application for review under sub-section (1) by any party shall be made within ninety days from the date of the communication of the order of the Tribunal.

**107. सरकार और रजिस्ट्रार की पुनरीक्षण की शक्ति—** (1) रजिस्ट्रार, ऐसे मामले में, जिसमें कार्रवाई रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा की गयी है और राज्य सरकार, ऐसे मामले में, जिसमें कार्रवाई रजिस्ट्रार द्वारा की गयी है, किसी भी जांच या ऐसे सभी मामलों की कार्रवाइयों के जिनमें इस अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई की गई है, उन मामलों को छोड़कर जिनमें अपील अधिकरण को होती है, किसी विनिश्चय या पारित आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारी की कार्रवाइयों की नियमितता के बारे में, स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के किसी आवेदन पर, स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी। यदि, किसी मामले में, राज्य सरकार या रजिस्ट्रार को ऐसा प्रतीत हो कि इस प्रकार मंगाये गये किसी विनिश्चय, या आदेश या कार्रवाइयों को उपांतरित, बातिल या उलटा जाना चाहिए तो राज्य सरकार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए रजिस्ट्रार या राज्य सरकार को प्रत्येक आवेदन ऐसी तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर किया जायेगा जिसको आवेदन से संबंधित कार्रवाइयों, विनिश्चय या आदेश से आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार इस उप-धारा के अधीन की शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामले में नहीं करेगा जिसमें इस अधिनियम के अधीन अपील उसको होती है।

**स्पष्टीकरण :—** इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त और रजिस्ट्रार को समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रार का अधीनस्थ समझा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सुनवाई के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्य की विफलता को रोकने के लिए ऐसे अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

**107. Power of revision of the Government and the Registrar.—** (1) The Registrar, in case where action has been taken by any officer subordinate to the Registrar and the State Government, in case where action has been taken by the Registrar, may, on their own motion or on an application of any aggrieved person, call for and examine the record of any inquiry or the proceedings of all such matters in which an action has been taken under this Act, except those in which an appeal

lies to the Tribunal, for the purpose of satisfying themselves as to the legality or propriety of any decision or order passed, and as to the regularity of the proceedings of such officer. If in any case, it appears to the State Government or the Registrar, that any decision or order or proceeding so called for should be modified, annulled or reversed, the State Government or the Registrar, as the case may be, may after giving persons affected a reasonable opportunity of being heard, pass such order thereon as it or he thinks just :

Provided that every application to the Registrar or the State Government for the exercise of the powers under this section shall be preferred within ninety days from the date on which the proceedings, decision or order to which the application relates was communicated to the applicant :

Provided further that the Registrar shall not exercise the powers under this sub-section in case in which an appeal lies to him under this Act.

**Explanation :—** For the purpose of this sub-section, every person appointed to assist the Registrar and exercising all or any of the powers of the Registrar under sub-section (2) of section 4, shall be deemed subordinate to the Registrar.

(2) Pending the hearing under sub-section (1), the State Government or the Registrar may pass such interlocutory order as it or he thinks fit to prevent the ends of justice from being defeated.

❑ ❑